

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, हिलसा।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, मुरलीगंज।

पटना, दिनांक- 19-11-19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹434.78090 लाख (चार करोड़ चौतीस लाख अठहत्तर हजार नब्बे रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹434.78090 लाख (चार करोड़ चौतीस लाख अठहत्तर हजार नब्बे रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०-127 दिनांक-19-11-19 के आलोक में कुल ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	वार्ड नं०- 31 अंतर्गत राम विलास चौक इन्द्रनगर रोड नं०- 01, 02, 03 एवं 04 पोस्टल पार्क सब्जी मार्केट, जवाहर कॉलोनी रोड नं०- 01 एफ, 1-के० होते हुए जीरो प्वाइंट तक भू-गर्भ नाला निर्माण कार्य।	133.08200	66.54100	66.54100
2		वार्ड नं०- 29 अंतर्गत बस स्टैंड रोड से रामनगर रोड में पोस्टल पार्क चौराहा होते हुए चांदमारी रोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	169.78700	84.89350	84.89350
योग (क)			302.86900	151.43450	151.43450

3	नगर परिषद्, हिलसा	वार्ड सं०- 21 में अंशु कुमार के घर होते हुए रामानंद सिंह के घर से पाईन से होते हुए गोरेया स्थान से होते हुए सुखदेव यादव के घर होते हुए ब्रजगोपाल यादव से होते हुए प्रमोद सिंह के मकान तक नाला निर्माण ढक्कन सहित आर०सी०सी०।	27.28045	13.64022	13.64023
4		वार्ड सं०- 21 में रामु विश्वकर्मा से हरदेव बाबु भाया उमेश रजक से होते सरोज बाबु तक नाला निर्माण ढक्कन सहित आर०सी०सी०।	27.28045	13.64022	13.64023
योग (ख)			54.56090	27.28044	27.28045
5	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड सं०- 10 में ब्रह्म स्थान कलभर्ट से सोनाय महाराज स्थान तक नाला निर्माण कार्य।	27.86800	13.93400	13.93400
6		वार्ड सं०- 02 गौशाला चौक से उत्तर नगर पंचायत सीमा तक नाला निर्माण कार्य।	49.48300	24.74150	24.74150
योग (ग)			77.35100	38.67550	38.67550
योग (क+ख+ग)			434.78090	217.39044	217.39045

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र।

2. आवंटित कुल ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक-28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। तालिका के क्रमांक- 01 से 2 पर अंकित पटना नगर निगम से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जाएगा जिसके लिए नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से राशि बुडको को हस्तांतरित कर दी जायेगी। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

47

5. कुल आवंटित राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) उक्त आवंटित राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र में से क्रमांक- 1 से 2 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹151.43750 लाख (एक करोड़ एकावन लाख तैंतालीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215027890101**, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) उक्त आवंटित राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र में से क्रमांक- 3 से 4 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹27.28044 लाख (सताईस लाख अठाईस हजार चौवालीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031920105**, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) उक्त आवंटित राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 5 से 6 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹38.67550 लाख (अड़तीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215021930102**, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) **तालिका के क्रमांक- 01 से 2 पर अंकित पटना नगर निगम से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।**

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

(vi) कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना, नालंदा एवं मधेपुरा/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.02.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-04/2018 82 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-12.02.19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना, नालंदा एवं मधेपुरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-02-19

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-12-11-19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹434.78090 लाख (चार करोड़ चौतीस लाख अठहत्तर हजार नब्बे रु0) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु0) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹434.78090 लाख (चार करोड़ चौतीस लाख अठहत्तर हजार नब्बे रु0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु0) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	वार्ड नं०- 31 अंतर्गत राम विलास चौक इन्द्रनगर रोड नं०- 01, 02, 03 एवं 04 पोस्टल पार्क सब्जी मार्केट, जवाहर कॉलोनी रोड नं०- 01 एफ, 1-के० होते हुए जीरो प्वाइंट तक भू-गर्भ नाला निर्माण कार्य।	133.08200	66.54100	66.54100
2		वार्ड नं०- 29 अंतर्गत बस स्टैंड रोड से रामनगर रोड में पोस्टल पार्क चौराहा होते हुए चांदमारी रोड तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	169.78700	84.89350	84.89350
योग (क)			302.86900	151.43450	151.43450
3	नगर परिषद्, हिलसा	वार्ड सं०- 21 में अंशु कुमार के घर होते हुए रामानंद सिंह के घर से पाईन से होते हुए गोरेया स्थान से होते सुखदेव यादव के घर होते हुए ब्रजगोपाल यादव से होते हुए प्रमोद सिंह के मकान तक नाला निर्माण ढक्कन सहित आर०सी०सी०।	27.28045	13.64022	13.64023

✓

4		वार्ड सं०- 21 में रामु विश्वकर्मा से हरदेव बाबु भाया उमेश रजक से होते सरोज बाबु तक नाला निर्माण ढक्कन सहित आर०सी०सी०।	27.28045	13.64022	13.64023
योग (ख)			54.56090	27.28044	27.28045
5	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड सं०- 10 में ब्रह्म स्थान कलभर्ट से सोनाय महाराज स्थान तक नाला निर्माण कार्य।	27.86800	13.93400	13.93400
6		वार्ड सं०- 02 गौशाला चौक से उत्तर नगर पंचायत सीमा तक नाला निर्माण कार्य।	49.48300	24.74150	24.74150
योग (ग)			77.35100	38.67550	38.67550
योग (क+ख+ग)			434.78090	217.39044	217.39045

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. स्वीकृत कुल ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक-28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। तालिका के क्रमांक- 01 से 2 पर अंकित पटना नगर निगम से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जाएगा जिसके लिए नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा राशि की निकासी कर ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से राशि बुडको को हस्तांतरित कर दी जायेगी। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. कुल स्वीकृत राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) उक्त स्वीकृत राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र में से क्रमांक- 1 से 2 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹151.43750 लाख (एक करोड़ एकावन लाख तैंतालीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215027890101**, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) उक्त स्वीकृत राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र में से क्रमांक- 3 से 4 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹27.28044 लाख (सताईस लाख अठाईस हजार चौवालीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031920105**, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) उक्त स्वीकृत राशि ₹217.39044 लाख (दो करोड़ सत्रह लाख उनचालीस हजार चौवालीस रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 5 से 6 पर अंकित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹38.67550 लाख (अड़तीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215021930102**, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) **तालिका के क्रमांक- 01 से 2 पर अंकित पटना नगर निगम से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन बुडको द्वारा किया जाएगा शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।**

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

4

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।


(vi) कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/सड़क०-09-04/2018 के पृष्ठ सं०-.....56...../टि० पर दिनांक-05-02-2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....57...../टि० पर दिनांक-12-02-2019 को प्राप्त है।


10. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना, नालंदा एवं मधेपुरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हिलसा एवं नगर पंचायत, मुरलीगंज/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क०-09-04/2018 127 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-12-02-19
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना, नालंदा एवं मधेपुरा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, हिलसा एवं नगर पंचायत, मुरलीगंज/प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

